फर्द अहकाम

अज अदालत –जिला कलक्टर,–मुकाम –भरतपुर

हेमन्त कुमार बनाम लोक सूचना अधिकारी विकास अधिकारी नदवई

किस्म मुकदमा–अपील आर.टी.आई. नम्बर 63 सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
26.9.2023.	प्रार्थी/अपीलान्ट श्री हेमन्त कुमार पुत्र खुशीराम ग्रांम नंगला मई तहसील नदवई ने आर टी आई के तहत यह अपील लोक सूचना अधिकारी विकास अधिकारी नदवई द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के यह अपील प्रेषित की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। प्राप्त अपील एवं अपील के साथ सलंग्न पत्रादि का अवलोकन किया गया। अपील के साथ सलंग्न फोटो प्रति पत्रादि से जाहिर है कि प्रार्थी ने आर.टी.आई. के तहत प्रेषित प्रार्थना पत्र में लोक सूचना अधिकारी विकास अधिकारी नदवई से आर.टी.आई. एक्ट के तहत सूचना चाही गई थी। लोक सूचना अधिकारी विकास अधिकारी नदवई द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जान के कारण, आरटीआई के तहत यह अपील इस कार्यालय को प्रेषित की गई है। आर.टी.आई. एक्ट के तहत लोक सूचना अधिकारी विकास अधिकारी नदवई के खिलाफ अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्रधान, पंचायत समिति नदवई को है। अतः प्राप्त मूल अपील को लौटाई जाकर अपीलार्थी को लिखा जावे कि वह नियमानुसार सीधे ही प्रधान, पंचायत समिति नदवई जिला भरतपुर को अपील प्रस्तुत करें। पत्रावली बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। जिला कलक्टर भरतपुर (राज0)	